न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 17/2021
जीसीएमएस : 2021/214

01. बलवीर पुत्र श्री हनुमान जाति बिश्नोई साकिन 1 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़। प्रार्थी

बनाम

01. सुभाष चन्द्र पुत्र श्री कृष्णलाल जाति बिश्नोई साकिन मुकलावा तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ।
02. जवाहरलाल पुत्र श्री कृष्णलाल जाति बिश्नोई साकिन मुकलावा तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ।
03. प्रमोदकुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति बिश्नोई साकिन मुकलावा तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ।
04. गीतादेवी पुत्री कृष्णलाल पत्नी श्री इन्द्राज जाति बिश्नोई साकिन हाल फौजूवाला तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
05. चन्द्रकला पुत्री श्री कृष्णलाल पत्नी श्री सुभाष खीचड़ जाति बिश्नोई साकिन हाल डाबला तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ.।
06. सन्तोष पुत्री श्री कृष्णलाल पत्नी श्री सुशील कुमार खीचड़ जाति बिश्नोई साल फुलदेसर तह. लूनकरणसर जिला बीकानेर।
07. सरोज पुत्री श्री कृष्णलाल पत्नी श्री धर्मपाल तरड़ जाति बिश्नोई साकिन हाल बिशनपुरा (लूणेवाला) तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ.।
08. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।**

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजू:—22.06.2021

उपस्थित: **1.श्री कृष्णलाल लदोईया** प्रार्थी अधिवक्ता।
2. श्री सुभाष बिश्नोई अप्रार्थी सं. 1 ता 3 अधिवक्ता।
3. एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी सं. 4 ता 7

दिनांक 25.07.2024

—निर्णय—

01. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी जोत वाके चक 1 टीके तह. रायसिंहनगर के खाता सं. 73/73 मु.नं. 83 पं.नं. 160/314 के कि.नं. 4 ता 7 व 14 ता 17 प्रत्येक में 0.253 है. तथा कि.नं. 23/1 में 0.056 है. कि.नं. 24/1 व 25/1 में 0.240 है. प्रत्येक इस प्रकार कुल 2.560 है. नहरी खातेदारी भूमि है। मेरी उक्त खातेदारी भूमि में पहुँचने के प्रयोजन के लिए अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 के नाम की खातेदारी भूमि वाके चक 1 टीके तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 47/47 में दर्ज मु.नं. 81 पं.नं. 158/314 के कि.नं. 21 व मु.नं. 82 पं.नं. 159/314 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में दक्षिणी पासा पत्थर लाईन पर 1—1 बिस्वा कुल 6 बिस्वा भूमि में रास्त खोलने/स्वीकृत करने का आशय रखता हूँ तथा इस रास्ते के जरिए हम पक्षकारान व मु.नं. 83 पं.नं. 160/314 के शेष रकबा का काश्तकार राजेन्द्रकुमार पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई आपसी सहमति से पिछले 30—35 वर्षो से अपने रकबा मे आ जा रहे है अतः चक 1 टीके तह. रायसिंहनगर के खाता सं. 73/73 मु.नं. 83 पं.नं. 160/314 [illegible] 7 व 14 ता 17 प्रत्येक में 0.253 है. तथा कि.नं. 23/1 में 0.056 है. कि.नं. 24/1 व 25 [illegible] है. प्रत्येक इस प्रकार कुल 2.560 है. नहरी खातेदारी [illegible] लाने, कृषि यन्त्र व ऊंट—गाडी व ट्रेक्टर आदि लाने [illegible] आवागमन के [illegible] के लिए अप्रार्थीगण सं 1 ता 7 के नाम की खातेदारी [illegible] रायसिंहनगर के खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.08.22 12:25:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

सं. 47/47 में दर्ज मु.नं. 81 पं.नं. 158/314 के कि.नं. 21 व मु.नं. 82 पं.नं. 159/314 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में दक्षिणी पासा पत्थर लाईन पर 1–1 बिस्वा कुल 6 बिस्वा भूमि में रास्ता स्वीकृति किया जावे।

02. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की तरफ से श्री सुभाष बिश्नोंई अधिवक्ता उपस्थित आये एवं अप्रार्थी सं. 4 ता 7 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं 1 की तरफ से श्री सुभाष बिश्नोइ अधिवक्ता ने जवाब प्रा. पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थी सं 1 के चक 1 टीके तह. रायसिंहनगर के खाता सं. 47/47 में दर्ज मु.नं. 81 पं.नं. 158/314 के कि.नं. 21 व मु.नं. 82 पं.नं. 159/314 के कि.नं. 21 ता 25 कुल 6 बीघा भूमि है, जिसमें मु.नं. 81 के कि.नं. 21 में खाला है, अप्रार्थी वा उसके बहिन व भाईयों के पास 6 बीघा भूमि ही है, जिसमें से कुछ भूमि खाला में आती है, अगर अप्रार्थी वा उसके परिवार की उपरोक्त भूमि में से 6 बिस्वा भूमि रास्ता में दी जाती है तो अप्रार्थी व उसके परिवार के पास भूमि कम हो जायेगी, अप्रार्थी वा उसके बहिनों–भाईयों का गुजारा उक्त भूमि पर ही चलता है तथा अप्रार्थी के उपरोक्त रकबा पर कोई रास्ता नहीं चल रहा है ना ही पूर्व में चल रहा था तथा देवीलाल पुत्र कालूराम के द्वारा अपनी भूमि चक 1 टीके के मु.नं. 86 में से कि.नं. 4, 5 में 2–2 बिस्वा रास्ता देने को तैयार है, प्रार्थी बलवीर के पिता के नाम इसी चक के मु.नं. 80 के कि.नं. 10–11–17–18–20–21–22–23 में कुल 1.518 है. नहरी व 0.506 है. बारानी व मु.नं. 81 के कि.नं. 2–3–8–9–12–13–19–22 में कुल 1.999 है. नहरी भूमि व मु.नं. 87 के कि.नं. 1–2–10 में कुल 0.265 है. नहरी भूमि व मु.नं. 86 के कि.नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2 में 0.684 है. नहरी व 0.075 है. खाला इस प्रकार कुल तीनों मुरब्बों में 5.047 है. नहरी/बारानी मय खाला में रास्ता चला आ रहा है, जो आगे जाकर प्रार्थी के मुरब्बा नं. 83 तक जाता है उक्त भूमि सातों भाई–बहिनों के नाम है तथा हमारा आपस में अभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है बंटवारा हुए बिना रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है।

03. तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/82 दिनांक 01.02.2024 से अवगत करवाया है कि चक 1 टीके तह. रायसिंहनगर के खाता सं. 73/73 मु.नं. 83 पं.नं. 160/314 के कि.नं. 3 ता 7 सालम, 13 ता 17 सालम,कि.नं. 23/1 में 0.056 है. कि.नं. 24/1 में 0.240, 25/1 में 0.240 है. प्रत्येक इस प्रकार कुल 2.560 है. नहरी बलवीर पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है अप्राथीगण के नाम चक 1 टीके पं.नं. 158/314 मु.नं. 81 कि.नं. 21/0.253 तथा प.नं. 159/314 मु.नं. 82 के कि.नं. 21 ता 25 कुल 1.518 है. नहरी मय खाला सुभाष चन्द्र पुत्र कृष्णलाल वगै. जाति बिश्नोई के नाम मुशतरका खाते में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा चक 1 टीक प.नं. 158/314 मु.नं. 81 कि.नं. 21 तथा प.नं. 159/314 मु.नं. 82 के कि.नं. 21 ता 25 में पत्थर लाईन पर दक्षिण साईड में एक–एक बिस्वा रास्ता की मांग की है, परन्तु मु.नं. 81 के कि.नं. 21 में पत्थर लाईन के दक्षिण पासा में अप्रार्थी सुभाषचन्द्र वगैरा का टयूबेल व कच्चा मकान होने के कारण रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है अतः प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु प्रार्थी नहर की पटरी जो बिना स्वीकृत चालू रास्ता से अपनी भूमि में आवागमन हेतु चक 1 टीके के प.नं. 158/315 मु.नं. 87 के कि.नं. 1/0.202 व 10/0.25 है. भूमि प्रार्थी के पिता हनुमान पुत्र नत्थुराम जाति बिश्नोई के नाम दर्ज भूमि में से एक–एक बिस्वा (पश्चिमी पासा) तथा इसी चक के मु.नं. 81 के कि.नं. 21 में 10 गुणा 10 फुट व मु.नं. 82 के कि.नं. 21 ता 25 में एक–एक बिस्वा रास्ता दिया जाना उचित है, मुताबिक नजरी नक्शा प्रार्थी के खेत में जाने हेतु कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं है

04. बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। [illegible] अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थीगण [illegible] खातेदारी भूमि [illegible] आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं [illegible] सरकार के नियमानुसार राशि का भुगतान भी कर सकते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.08.22 12:25:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

05. हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष, की बहस सुनकर व समझकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर व, भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि इसी चक के मु.नं. 81 के कि.नं. 21 में 10 गुणा 10 फुट व मु.नं. 82 के कि.नं. 21 ता 25 में एक-एक बिस्वा रास्ता दिया जाना उचित है। इसी रास्ते से अपनी भूमि में आवागमन कर सकते है। इस रास्ते के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। प्रार्थी को अपनी भूमि में प्रवेश के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग अतिआवश्यक है और प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग स्वयं की सुविधा मात्र के नहीं है। यह प्रार्थीगण की आत्यांतिक श्रेणी में आता है। उक्त वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है उक्त विवादित भूमि का मौका निरीक्षण पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया गया। अतः प्रार्थना पत्र 251 क प्रार्थीगण का स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 1 **टीके के प.नं. 158/315 मु.नं. 87 के कि.नं. 1/0.202 व 10/0.25 में एक-एक बिस्वा पश्चिमी पासा) प्रकरण संख्या 17/2020 अनवान सुभाष बनाम हनुमान अन्तर्गत धारा 251क के निर्णय दिनांक 25.07.2024 को स्वीकृत रास्ता से** लगातार इसी चक के मु.नं. 81 के कि.नं. 21 **में 10 गुणा 10 फुट (दक्षिणी-पश्चिमी कोने पर) व** मु.नं. 82 के कि.नं. 21 ता 25 **में एक-एक बिस्वा (दक्षिणी पासा) को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते** हैं। अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि कुल 5 बिस्वा 10 गुणा 10 फुट के बदले प्रार्थी से वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि जमा होने पर अप्राथीगण को भुगतान करे । गैरमुमकिन रास्ता कायम करे एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.08.22 12:25:20 IST
Reason: SelfAttested